



संख्या-2/2026/1/1274137/2026/003-CN-1671576-6-2099-82-2022

प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,

लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में पूंजीगत व्यय के 'उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष' से अनुमोदित धनराशि से यातायात उपकरणों के क्रय/यातायात संबंधी कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 03.12.2025 में लिये गये निर्णय के क्रम में उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-उप0प्रको0-404/2025(स0सु0कोष) दिनांक 18.12.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित उपकरणों/सामग्री के क्रय हेतु श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्षक "4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-207-राज्य पुलिस-21-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष" के अन्तर्गत मानक मद "26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" में प्रावधानित अनुदान रू0 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 15,24,00,000/- (रुपये पन्द्रह करोड़ चौबीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

पूंजीगत व्यय

लेखाशीर्षक "4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-207-राज्य पुलिस-21-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष" के अन्तर्गत मानक मद "26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र"				
क्र०सं०	उपकरण	संख्या	दर प्रति	अनुमानित व्ययभार
1	आयरन बैरियर	4400	10,000	4,40,00,000
2	फोल्डिंग बैरियर	4525	8,800	3,98,20,000
3	सेफ्टी हेलमेट	7200	400	28,80,000
4	फ्लोरोसेंट सेफ्टी जैकेट	8000	700	56,00,000
5	ब्रेथ एनालाइजर	270	40,000	1,08,00,000
6	स्पीड लेजर गन (स्पीड रडार)	85	5,80,000	4,93,00,000
योग-				15,24,00,000/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (1) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/निदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपकरणों/सामग्री/मैनपावर का क्रय/सेवा प्रदाता के माध्यम से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु-2 के शा0दि0 23.08.2017 एवं 29.06.2022 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- (2) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/निदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणों/सामग्री/मैनपावर के क्रय/(सेवा प्रदाता के माध्यम) हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी हो। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।
- (3) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/निदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों के मेक/मॉडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के सम्बन्ध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।
- (4) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/निदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्री/मैनपावर की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।
- (5) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/निदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपकरणों/सामग्री/मैनपावर का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।
- (6) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/निदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण केवल क्रय की जा रही वस्तु के गुणवत्तायुक्त आपूर्ति के बाद आपूर्तिकर्ता को शासनादेश संख्या0-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31.01.2013 के अनुसार किया जायेगा।
- (7) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्यायक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,24,00,000/- (रुपये पन्द्रह करोड़ चौबीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002072100 उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-12-653-X-2025-26, दिनांक: 20.03.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवम् दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. विशेष सचिव, परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/सिविल लाइन्स, इन्दिरा भवन, इलाहाबाद।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गृह (पुलिस) अनुभाग-7/परिवहन अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,
बृजेन्द्र कुमार कुशवाहा
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।